300/2024 2024/442 - GCMS No. 1

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी

कमांक : राजस्व/2024/2994 दिनांक : 19/11/2024

–: आदेश :–

तहसीलदार **बाप** जिला फलोदी के द्वारा पत्र कमांक–राजस्व/1003 दिनांक 06.09.2024 के द्वारा रा.भू. रा. अधिनियम 1956 की धारा 131,132 व 136 के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम **बाप** तहसील **बाप** जिला फलोदी के खसरा नम्बर **2866/2686** में से रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म गै.मु.मगरा, में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग आ रही भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया है। नगर पालिका बाप ने अपने पत्र कमांकः– न.पा.बाप/2024–25/799 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

कसं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	किस्म	रास्ते में उपयोग हो रही भूमि	शेष रकबा (क्षेत्रफल)
1	बाप	2866/2686	21.2763 है.	गै.मु.मगरा	0.6475 है.	20.6288 है.
कुल		01			**0.6475 है.**	

प्रार्थना पत्र के संम्बध में पटवारी **बाप** व भू.अ. निरीक्षक **बाप** की रिपोर्ट मय रेकर्ड की प्रमाणित प्रति एवं नगर पालिका बाप का अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम **बाप** तहसील **बाप** जिला फलोदी उपरोक्त खसरा नम्बर में विद्यमान कदीमी रास्ते के सम्बध में से परिशिष्ट A के अनुरूप **0.6475 हैक्टेयर** भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा धारा 131, 136 व रा.भू.अ. 1957 के नियम 60(एच) के तहत तहसीलदार **बाप** का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम **बाप** तहसील **बाप** जिला फलोदी के खसरा नम्बर **2866/2686** में से कुल रकबा **0.6475 हैक्टेयर** की किस्म गै.मु.रास्ता परिवर्तन करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में अमल करने का आदेश तहसीलदार **बाप** को दिया जाता है कि उक्त भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करे। किसी अन्य न्यायालय का स्थगन होने पर उसकी भी पालना की जावे। यह एक अपीलीय आदेश है जिसकी सक्षम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी)
19.11.24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)
दिनांक : 19/11/2024

कमांक : राजस्व/2024/2995–2998
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय, फलोदी की सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. तहसीलदार **बाप** को पालनार्थ ।
3. भू.अ. निरीक्षक **बाप** को पालनार्थ ।
4. पटवारी हल्का **बाप** को रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम की कार्यवाही हेतु ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी)
19.11.24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)